

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं
पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं०- 177/2019
जी.सी.एम.एस. नं. 2019/00418

निर्णय दिनांक : 02.02.2022
अमरचन्द आदि

महेन्द्रसिंह

बनाम

दावा विभाजन

अंतिम निर्णय


उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2021 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम सीथल पटवार हल्का सीथल के भूमि ख.नं. 187 रकबा 1.900 है० में वादी एवं प्रतिवादी नं० 5 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.08.2021 की पालना में तहसीलदार उदयपुरवाटी से पत्र क्रमांक:- भू०अ०/2022/192 दिनांक 20.01.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.01.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.01.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न०- 177/2019
जी.सी.एम.एस. नं. 2019/00418

निर्णय दिनांक : 02.02.2022
अमरचन्द आदि

महेन्द्रसिंह

बनाम

दावा विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई
बल्द ...-..मिनजानिब मदेयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :-


वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.01.2022 को अंतिम डिक्री
किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.01.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम
निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार
उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन
प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज...-.....निल.....

..... मुबलिक -.....निल..... दावन.-.....निल.....

..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह -.....निल.....

फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक -.....निल.....

का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02
माह 02 सन 2022 को जारी की गई।


(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी